सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में दलित एवं पिछड़ा वर्ग की स्थिति में परिवर्तन

डॉ0 रंजू कुमारी

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, ए. एन. एस. कॉलेज, जहानाबाद

भारत में दलित शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। सामान्यत: दबाए, सताए, शोषित, उत्पीड़ित व्यक्तियों के वर्ग को दलित कहा जाता है। हजारों वर्षों तक अछूता या अस्पृश्य समझने वाली उन तमाम शोषित जातियों के लिए सामूहिक रूप से परियुक्त होता है। जो हिंदू धर्म शास्त्रों में, हिंदू समाज में सबसे निचले पायदान पर स्थित है, एवं बौद्ध ग्रंथ में पाँचवें स्थान पर जिसे चंडाल भी कहा गया है। संवैधानिक भाषा में इन्हें अनुसूचित जाति कहा गया है। जिसमें मेहतर, डोम, मुसहर, नट, तूरी, रजवार, बातर, भुइयां, कंजर, कुरियार, भगोगता, भूमिज इत्यादि जातियां है। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग में कोइरी, कुर्मी, नाई, धोबी, लुहार, बढ़ई, यादव आदि जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग है। जिन्हें दो जून के रोटी के लाले पड़े रहते है। इन्हें आजाद भारत के गुलाम नागरिक यदि कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि इंसान के रूप में पैदा हुए इन महादलितों का जीवन जानवरों से भी बद्दतर था। दलित एवं पिछड़ा वर्ग के नाम से ही समाज का एक विशाल जनसमूह का छवि सामने आने लगता है, जो सदियों से भूख, बिमारी, कंगाली, कुपोषण, बेरोजगारी एवं अकाल मृत्यु के शिकार होते रहे हैं। इनके पास ना तो खेती योग्य जमीन है, ना ही ढ़ंग का रोजगार। मुसहर, भुइयां एवं नट जाति के लोग जिंदा रहने के लिए चूहा, घोंघा, सियार, बनबिलार खाने को मजबूर होते रहे हैं। रोटी के टुकड़ों के लिए मेहतर लोग मानव मल उठा कर ले जाने को मजबूर थे। जमींदारी प्रथा में कृषि योग्य भूमि चंद जमींदारों के मुट्ठी में होती थी। वे मजदूरों का शोषण करते थे। दलित एवं पिछड़ा वर्ग में शिक्षा का अभाव था। बाढ़, सुखा, प्राकृतिक आपदा के बाद बेरोजगारी, बेकारी और भूखमरी बढ़ जाती थी। आजादी के पहले स्थिति ऐसी थी कि दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। इसके बाद अंग्रेजों के शासन काल में कुछ लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। अंग्रेजी सरकार जातिवाद के लड़ाई का फायदा उठाकर शासन कर रहे थे। आजादी के बाद सरकार का ध्यान गांवों की ओर गया। उस समय ऐसा लगा कि जात-पात, छुआ-छूत मिट जायेगा, लेकिन एंसा नहीं हुआ।

1952 में सामुदायिक विकास योजना का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा सकता है। कृषि में सुधार, कुटीर उद्योग में सुधार तो लाना ही था। लोगों के विचारों, मनोवृत्ति सोच में भी परिवर्तन लाकर स्वयं आत्मनिर्भर बनाना था। वर्तमान समय यानी आजादी के बाद 70 दशक बाद अगर देखा जाए तो दलित एवं पिछड़ा वर्ग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। कई संवैधानिक प्रावधानों एवं सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के माध्यम इनके विकास का प्रयास किया गया है। इससे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन एवं रहन-सहन में बहुत अधिक परिवर्तन आया है।

दलित एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षा ही एकमात्र साधन है, जो उन्हें सामाजिक शोषण के घेरे से बाहर निकालने में सहायक होगी। डॉ० भीमराव अम्बेदकर ने भारतीय संविधान में विशेष अवसर का सिद्धांत समाज के अभीवंचित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिपादित किया, ताकि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। बिहार देश का पहला राज्य है, जिसमें महादलित आयोग बनाकर समाज के कमजोर वर्ग को विकास से जोड़ने का प्रयास किया गया। सरकार की इस पहल से संपूर्ण दलित समाज को

वास्तविक एवं जमीनी मदद मिलेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा शराबबंदी कानूनी बनायी गयी, परंतु कुछ लोगों को सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से परेशानी है। और इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। फूट डालो और राज करो का आरोप लगाने वाले ऐसे लोगों के लिए यह शेर सटीक बैठता है-

"तू जो औरों की तरफ करता है अंगूसतनुमाई
तुझे ध्यान रहे अंगुलियां तीन झूकी हुई है तेरी तरफ
हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है।" जैसे नारा उछालने वाले लोग भी हकीकत में परिवारवाद, भाई-भतीजावाद, जातिवाद से ऊपर उठकर संपूर्ण दलितें के हित में कार्य किए होते, अंधेरे में चिराग जलाए होते तो आज उन घरों में रोशनी के लिए महादलित आयोग बनाने की जरूरत न पड़ती। **डॉ० अंबेडकर** ने पढ़-लिख कर आगे बढ़ चुके दलितों का आह्वान किया था कि वह अपनी आय का पाँचवा हिस्सा अथवा 20% अपने कमजोर दलित भाइयों के विकास पर खर्च करें, ताकि समाज के दूसरे गरीब भाइयों का भी उत्थान हो सके। परंतु पढ़े-लिखे अधिकांश समृद्ध दलितों ने अंबेडकर के इस आह्वान पर मजाक उड़ाया और अपने कमजोर दलित भाइयों की ओर पलट कर भी नहीं देखा। यही कारण है कि दलितों का एक तबका पिछड़ता चला गया जिसे आज **महादलित** के नाम से जाना जाता है। 1956 में आगरा का एक सभा को संबोधित करते हुए **डॉ0 अंबेडकर** ने कहा था मुझे मेरे पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा दिया है। हमें तो यह उम्मीद थी कि ये लोग पढ़-लिख कर, आगे बढ़ कर समाज की सेवा करेंगे, दलितोत्थान का दायित्व संभालेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, पढ़े-लिखे दलितों ने अंबेडकर के आंदोलन के साथ धोखा किया। अंबेडकर के तस्वीर के साथ फोटो खिंचवाने वाले एवं स्मारक बनाने वाले तथा, दलितों के मसीहा बताने वाले नेता भी आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जातिवाद के नाम पर वोट बैंक बनवाते हैं, एवं जीतकर जाने के बाद गरीबों की ओर पलट कर भी नहीं देखते हैं। आज अंबेडकर के नाम पर पार्क, स्मारक बनाकर स्वयं भी अपना स्मारक बना लेते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर उस पैसे का इस्तेमाल कमजोर वर्ग के विकास पर करते तो उस समाज के कमजोर लोगों के एक बहुत बड़ा तबके के पास पक्का मकान, सुलभ शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खुल जाता, जिससे समाज का विकास होता। बिहार में आदि अनेक घोटाले हो रहे हें। जिसमें अशिक्षित जनता को मूर्ख बनाक कर धोखें से अंगूठा लगवाकर, फर्जी हस्ताक्षर कर गरीबों का पैसा ऊपरी स्तर पर मंत्री एवं अधिकारी के जेब भरता है।

भारत सरकार की 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में दलितों की संख्या 16.6% मानी गई है। बिहार में लगभग सेवा करोड़ की आबादी वाले दलित समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हालात में कुछ सुधार हुआ है। राज्य के 23 दलित जातियों की हालत कुछ दयनीय है। कृषि श्रमिकों का 77% दलित समुदाय से आता है, जबकि महादलित समुदाय का 90% हिस्सा कृषि श्रम से जुड़ा हुआ है, महादलितों में काश्तकार सिर्फ 7.9% है, घरेजू रोजगार में 3.3 प्रतिशत दलित जुड़े हैं, मुसहर 90% तथा भुइयां 86% मजदूरी पर आश्रित है। महादलित समुदाय की पहुँच बैंकों तक नहीं थी। महादलितों का बड़ा हिस्सा आज भी न्यूनतम जिंदगी जीने पर मजबर हैं। बिहार की पिछड़े वर्ग की लगभग 51% आबादी में 24% अति पिछड़े है। जिसमें 94 जातियाँ हैं। पिछड़े जाति में यादव 10%, कोईरी 14%, कुर्मी 1.3%, इबीसी 22.2%, महादलित एवम् दलितों के 16%, पासवान 9%, मुसहर 2.8% है। अति पिछड़े में आने वाली जातियों को बिहार में **पंचपनिया** नामों से पुकारा जाता है। **सामंती जजमानी व्यवस्था** में ये जातियाँ अपनी सेवा के बदले सामंती मालिकों से अपना हिस्सा ले कर जीविका निर्वाह करते थे। तथा समाज में उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी। जजमानी प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है। दलितों में दलित को महादलित कहा जाता है। उनके लिए अलग से नीतियाँ और योजनाएँ बनाई गई है। बिहार के लगभग 40% लोग कमाने के लिए दूसरे राज्यों की तरफ रूख कर लेते हैं। बिहार के हालत यह है कि आजादी के 70 वर्षों बाद भी बहुत लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की कमी है। 5% पिछड़े परिवारों के पास बिजली अभी भी नही

है। 4,45,464 परिवारों को पीने के लिए दूर से पानी लाना पड़ता है। दलित समुदाय में साक्षरता दर 2001 में 28.5% था। जो 2011 में 48.67 हो गया। दलित महिलाओं की साक्षरता 2011 में 38.5% हो गया है। राज्य में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल भेजना जरूरी किया गया है। फिर भी बिहार में 13.4 लाख बच्चे स्कूल जाने से वंचित है। फिर भी राज्य में दलित एवं पिछड़ा वर्ग में साक्षरता दर में सुधार हुआ है।

सरकार द्वारा किये गये प्रयासः-

1. हमारा गाँव हमारी योजना 2016-17 में भी लागू हुआ।
2. अक्टूबर 2017 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के अगुवाई में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ओबीसी क्रीमी लेयर की न्यूनतम वार्षिक आमदनी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है।
3. इंदिरा आवास के अंतर्गत 2,29,201 आवास बनाए गए हैं।
4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान देश के सभी 640 जिलों में लागू कर दिया गया है। इस अभियान के विकास के लिए 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि 11,235 करोड़ रु0 प्रस्तावित है।
5. केन्द्र सरकार ने 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में महिला सशक्तिकरण केन्द्र गठित करने की मंजूरी दी है।
6. पंचायती राज में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने से समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहा है।
7. उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन एवं चूल्हा गरीबों को दिया गया।
8. बालिकाओं को साइकिल, पोशाक, नैपकिन एवं किताब वितरण किया जाता है।
9. दलित बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है।
10. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक जन कल्याण योजना एवं संवैधानिक कानून बनाए गए हैं, जिसके कारण वर्तमान में कमजोर दलित समुदाय में तेजी से परिवर्तन हो रहा है।

इन समुदाय के लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है। देश को आजाद हुए 70 साल बीत गए इन सालों में अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ जिससे बिहार अछूता कैसे रह सकता है। आज, बिहार में भी औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधन, पाश्चात्य शिक्षा के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हुआ है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण गाँव के खेतिहर मजदूर शहर की ओर रूख कर रहे हैं। शहर में उन्हें अनेक तरह के रोजगार मिल जाते हैं एवं नगद पैसा मिल जाता है जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। शहर के लोगों के रहन-सहन को देखकर वह भी उसे अपनाने लगे हैं, जिससे उनका विकास हो रहा है। बिहार में 11 प्रतिशत लोग शहर-नगर में बसे हुए हैं।

सामाजिक परिवर्तन

आधुनिकीकरण की लहर शहरों से होते हुए गाँव तक पहुंच चुकी है। दलित और पिछड़ा समुदाय इससे अछूता नहीं रह गया है। अनुच्छेद-340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए आयोग गठित कर सकता है। अनुच्छेद-17 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम-1955 या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1976 के तहत अस्पृश्यता को पूर तरह अंत कर दिया गया है। अनेक संवैधानिक कानूनों के प्रभाव से समाज में जाति प्रथा में परिवर्तन हो रहा है। जजमानी प्रथा, छुआछुत, ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी, जातिय संस्करण, खानपान में प्रतिबंध आदि लगभग खत्म हो चुकी है। आज शहरों में एक ही अपार्टमेंट के अंतर्गत विभिन्न जाति के लोग मिल-जुलकर रह रहे हैं। बच्चों के पढ़ाने में लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा हैं। गांव की तुलना में शहर में इन कुरीतियों का तेजी से अंत हो रहा है। साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में दलितों के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों के कारण शिक्षा में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य

के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले पहली से बारहवीं तक के छात्र-छात्राओं को साइकिल, पोशाक, नैपकीन, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं की राशि दी जाती है। बिहार में 91 हजार आँगनबाड़ी केन्द्र है, जिसमें समेकित विकास परियोजना के द्वारा बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। शराबबंदी कानून के कारण समाज में काफी सुधार हो रहा है, क्योंकि गरीब लोग अपनी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा शराबखोरी एवं नशाखोरी में उड़ा देते थे, जिनसे उन पर आश्रित परिवार को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बच्चों के पढ़ाई-लिखाई के लिए पैसे नहीं बचते थे, और नशे में औरतों की पिटाई भी करते थे। टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि देखकर लोगों के मनोवृत्ति, सोच, विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन हो रही है।

आर्थिक परिवर्तन

औद्योगिकरण के कारण नई-नई तकनीक का विकास हो रही है, जिसके कारण वंशानुगत जातीय परंपरागत व्यवसाय लगभग समाप्त हो रही है। आज कोई भी जात कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। अनुच्छेद-1 में आर्थिक अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर उद्घोषणा में कहा गया है, कि सभी मनुष्य समान है। सभी को जीवन स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार है। मंडल आयोग (1978-81) कमीशन के सिफारिश में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक आधार पर देश के 52 प्रतिशत जनसंख्या को पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। प्रत्येक स्तर पर 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है, जिसके कारण दलित एवं पिछड़े जाति के लोग चपरासी से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस पदाधिकारी, जिला अधिकारी एवं अन्य क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे है। दलित एवं पिछड़ी जाति के समुदाय के लिए इंदरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाया जा रहा है। सुलभ शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, गली-नाली बनाए जा रहे हैं। गांव की गलियों को मेन रोड से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़क को जोड़ा गया है। मनरेगा के अंतर्गत दलितों को 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलने से श्रमिक वर्ग के लोगों को दूसरे जगह पलायन में कमी आई है, क्योंकि उन्हें गांव में ही रोजगार मिल जा रहा है। इस तरह अनेक परियोजना एवं जन कल्याणकारी कार्य लागू हो जाने के कारण स्थिति में सुधार हो रहा है।

राजनीतिक परिवर्तन

स्थानीय निकायो में 17% आरक्षण और 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन को लागू होने के बाद पंचायती राज स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी करीब 10,00,000 हुई है। पहले दलित एवं पिछड़ा जाति के लोग उस जाति के लोगों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते थे, आज उनके सामने ऊँची जाति के लोग बात करने से डरते हैं। आज यादव, कोइरी, कुर्मी, बनिया आदि का शासन हो गया है। लालू यादव के समय यादव लोगों का मनोबल बढ़ा तो, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो मांझी समुदाय का। वर्तमान में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी एवं सुशील कुमार मोदी के राज में कुर्मी तथा बनिया एवं राम विलास पासवान के कारण पासवान जाति का जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। दलित नेताओं में मीरा कुमार, जगजीवन राम, कोच्चरील रामन नारायण, डॉ. भीमराव अंबेडकर, मायावती आदि दलित नेता हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :

1) वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में दलित एवं पिछड़ा समाज की वर्तमान स्थिति और उससे हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करना है।

2) शिक्षाका प्रभाव एवं सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास के परिणामस्वरूप दलित एवं पिछड़ा वर्गों की स्थिति में जो बदलाव आए हें उनके बार में जानना इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।

उप कल्पनाएँ -

1. दलितों एवं पिछड़ा समाज में शिक्षा का स्तर निम्न है और निम्न स्तरीय चेतना का संबंध उनके परिवारों की दशा कमजोर आर्थिक स्थिति एवं

उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं पारिवारिक परिवेश से है।

2. महादलित समाज के लोगों का दलितों एवं अन्य जातियों के साथ बहुत सीमित तथा साथ ही संबंध होते हैं।

3. महादलितों, दलितों एवं पिछड़ी जाति की शिक्षा के उन्नयन में उनकी सामाजिक सांस्कृतिक तथा पारिवारिक स्थिति का निम्नस्थ होना बाधक है।

अध्ययन पद्धति

वर्तमान अध्ययन का समग्र गया जिला के औरमां प्रखंड के अंतर्गत महादलित, दलित एवं पिछड़ी जाति बहुल औरमां गांव है। इन गांव में रहने वले तीन सौ लोगों को सोद्देर्शयपूर्ण निदर्शन पद्धति की सहायता से चयन कर उनकी मनोवृत्ति का अध्ययन किया गया है।

महादलितों, दलितों एवं पिछड़ी जाति की परिस्थिति पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया। इस अनुसूची द्वारा महादलित, दलित एवं पिछड़ा समाज के विचारों को जानने का प्रयास किया गया।

परिणाम एवं निष्कर्ष :

व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में महिलाओं की प्रतिष्ठा बहुत हद तक उनकी शैक्षणिक स्थिति पर निर्भर करती है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है, कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की महिलाएं परिवार में अपनी स्थिति उच्च समझती है जबकि अन्य स्तर की महिलाओं में प्राथमिक (100 प्रतिशत) माध्यमिक (94.2 प्रतिशत) इंटर (100 प्रतिशत) तथा स्नातक (85.3 प्रतिशत) परिवार में अपनी स्थिति सामान्य बताते हैं। पूर्व के किए गए अध्ययन में तुलना करने पर यह बात शिक्षा के संदर्भ में देखने को मिलती है कि यदि मानव की जागृति और उनमें प्रकाश प्रतिबिंब को उजागर करना है तो शिक्षा के द्वारा समाज में सहयोग और रचनात्मक भूमिका का निर्वाह किया जाना एक स्वाभाविक उपक्रम है। यद्यपि पिछड़ा जाति एवं अनुसूचित जाति समुदाय विकास के संदर्भ में बहुत से पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के अभाव में स्वस्थ समाज का सपना अधूरा सा है। इसीलिए आज के अध्ययनों में यह बात देखने को मिलती है जिससे इस बात का सत्यापन लगभग तय सा देखने को मिलता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन शिक्षा से ही होता है ऐसी स्थिति में शिक्षा सामाजिक जागरूकता की एक कड़ी है यही कड़ी व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक संरचना की उभरती शक्ति को प्रकाशित करती है। इस अध्ययन के अंतर्गत यह भी दिखलाया गया है कि आज शिक्षा की वैज्ञानिकता जो प्रबलतम रूप से देखने को मिल रहा है वह आधुनिक युग के वैज्ञानिक चिंतन और दार्शनिकों तथा विद्वानों के लिए ज्वलंत कसौटी है। अध्ययन में शिक्षा के जो आधारभूत मापदंड को विकसित किया गया है वह किसी न किसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास की एकता के कुंज का प्रतीक है।

प्रस्तुत अध्ययन की उपलब्धि एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से हरिजनों एवं पिछड़े जाति की परिस्थिति एवं भूमिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जब तक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्गों के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाया जाएगा तब तक स्वतंत्र भारत का कोई न कोई बीमार माना जाएगा और यह बीमारी भारत की अखंडता, विकास और सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बन कर रह जाएगी। ऐसी हालत में सरकार का यह कहना की शिक्षा का दीप घर-घर में जगेगा, आत्म प्रकाश घर-घर में बिखरेगा, यह कहना सिद्धांतों से अछूता रह जाएगा। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत यह उजागर करना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अनिवार्य और आवश्यक पाया गया कि बुनियादी आवश्यकताओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इस कड़ी को प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से शिक्षा की दार्शनिकता, रचनात्मकता एवं सामाजिक अनुरूपता के साथ ही साथ सांस्कृतिक समायोजन एवं मूल्यपरक आदर्श को दिखलाने का प्रयास किया गया है।

संकलित तथ्यों के माध्यम से पता चलता है कि जिन महिलाओं एवं पुरुषों की शैक्षणिक स्थिति का स्तर

उच्च था। वे परिवार के विभिन्न मामलों में निर्णय खुद लेते थे या उनसेराय पूछी जाती थी, लेकिन निम्न शैक्षणिक उपलब्धि के निम्न स्तर उनके निर्णय निर्माण क्षमता को प्रभावित करती है, सत्य प्रमाणित होती है। जब तक अनुसूचित जाति एवं पिछड़े जाति में शिक्षा की जागृति नहीं जगेगी, तब तक उनके मनोवृति विचारों एवं व्यवहारों में विकास कैसे होगा, अन्य जातियों से मिलजुल कर रहने का विचार कैसे जगेगा।

निष्कर्ष:

बिहार सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम काफी सराहनीय कदम है। सर्वशिक्षा अभियान, विभिन्न क्षेत्रों में 27 प्रतिशत आरक्षण, पोशाक एवं साइकिल योजना आदि से समाज में विकास हो रहा है। शराबंदी के लिए 2 अक्टूबर से बिहार मद्य निषेध उत्पाद विधेयक 2016 नियम लागू होने से हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछड़े वर्ग एवं दलित, महादलित समुदाय के लोग अपनी कमाई का लगभग आधा हिस्सा शराब पीने से गवां देते थे, जिससे उनपर आश्रित लोगों की आर्थिक परेशानी होती थी एवं समाज में घरेलू हिंसा बढ़ रहा था, जिससे अनेक सामाजिक कुरीतियों फैलती थी। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान अगर सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो समाज में बहुत से कुरीतियों का अंत हो जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत 730 आवासीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय खोला गया है। महिला थाना तथा हरिजन थाना भी खोले गए हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं जन कल्याणकारी अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिससे समाज में परिवर्तन हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. बोसी.ए.बी. प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ सिडयूलड कास्टस
2. आहूजा, राम : सामाजिक समस्याएँ
3. 3 देसाई. ए.आर : रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया
4. चौहान, बी.आर. स्पेशल प्रॉब्लम्बस ऑफ एजुकेशन ऑफ सिडयूल्ड कास्टस
5. जनगणना 2011
6. घुरिये, जी.एस.-कास्ट एण्ड क्लास इन इंडिया
7. श्रीनिवास, एम.एन.- कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एण्ड अदर एशेज